

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग**

॥ संकल्प ॥

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री संजीव कुमार सिंह, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी सासाराम-भभुआ सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, सासाराम सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर के विरुद्ध खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में विभागीय निदेश की अवहेलना कर धान अधिप्राप्ति के अंतिम तिथि को कैश क्रेडिट उपलब्ध कराया जाना एवं प्रतिवेदित तिथि तक मात्र 17 प्रतिशत सी०एम०आर० आपूर्ति किये जाने के आरोप में जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के कार्यालय पत्रांक-3498 दिनांक-04.11.2023 द्वारा आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभाग को भेजा गया। विभागीय पत्रांक-3597 दिनांक-20.12.2023 द्वारा उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक-1305 दिनांक-28.02.2024 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक-1511 दिनांक-27.05.2024 द्वारा श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4441 दिनांक-22.05.2025 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाया गया।

तदालोक में श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(3) के अंतर्गत विभागीय पत्रांक-3351 दिनांक-10.07.2025 द्वारा आरोप पत्र गठित करते हुए स्पष्टीकरण पूछा गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक-4159 दिनांक-14.08.2025, पत्रांक-5009 दिनांक-06.10.2025, पत्रांक-5851 दिनांक-24.11.2025 एवं पत्रांक-112 दिनांक-06.01.2026 द्वारा स्मारित किया गया।

उक्त के संबंध में श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक-917 दिनांक-07.07.2026 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री संजीव कुमार सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकार पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संजीव कुमार सिंह, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी सासाराम-भभुआ सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, सासाराम सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में श्री मनोज कुमार सिंह, अपर निबंधक(साख), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री बीरेन्द्र शर्मा, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप-पत्र की एक-एक प्रति (साक्ष्य सहित) श्री मनोज कुमार सिंह, अपर निबंधक(साख), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी / श्री बीरेन्द्र शर्मा, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री संजीव कुमार सिंह, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी सासाराम-भभुआ सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, सासाराम सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....

8/नि.को.(रा.)विभागीय-710/2023

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री मनोज कुमार सिंह, अपर निबंधक(साख), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

ह./-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....

8/नि.को.(रा.)विभागीय-710/2023

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री बीरेन्द्र शर्मा, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

ह./-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....

8/नि.को.(रा.)विभागीय-710/2023

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री संजीव कुमार सिंह, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी सासाराम-भभुआ सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, सासाराम सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

ह./-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....

8/नि.को.(रा.)विभागीय-710/2023

प्रतिलिपि :- निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रशाखा-1), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 5377 / पटना, दिनांक : 17/09/26

8/नि.को.(रा.)विभागीय-710/2023

प्रतिलिपि :- लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

hce
15/09/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।

②